



:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल महासमुन्द (छ.ग.) ::

(07723) 222084, Fax :- 222084 – E-mail – dfomahasamund@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./4735
प्रति,

महासमुन्द, दिनांक 17 / 9 / 2018

कार्यपालन अभियंता,
अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग,
छ.ग. स्टे. पा. ट्रांस. कं. लिमिटेड गुड़ियारी,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल के अंतर्गत 132 के.व्ही. परसवानी-महासमुन्द रेल्वे ट्रेक्शन विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के लिये कक्ष क्रमांक 67 में रकबा 2.37 हे. आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छ.ग. स्टेट पावर ट्रांस. कं. लिमि. रायपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर का पत्र क्र./तक.शा./विद्युत/7145, रायपुर दिनांक 04.09.2018

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में लेख है, कि संदर्भित पत्र द्वारा उठाये गये निम्नानुसार आपत्तियों/त्रुटियों का निराकरण कर प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करें।

1. प्रकरण में एन.पी.व्ही की अंतर की राशि रु. 4,45,560.00 (चार लाख, पैतालीस हजार, पाँच सौ साठ रुपये मात्र) ई-चालान जनरेट करते हुए कैम्पा मद में जमा कर चालान की प्रति हस्ताक्षर मुहर सहित प्रस्तुत करें। (संशोधित मांग पत्र संलग्न)
2. भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तों अनुसार ही बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
3. प्रकरण में संलग्न किये गये शर्त के पालन प्रतिवेदन एक पृष्ठ पर एक ही शर्त अंकित करें एवं हस्ताक्षर मुहर सहित प्रस्तुत करें।
4. प्रकरण में हस्ताक्षरित टाईम लाईन संलग्न किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्र./मा.चि./4736
प्रतिलिपि :-

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल, महासमुन्द
महासमुन्द, दिनांक 17 / 9 / 2018

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ.ग., रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के परिपालन में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

संलग्न :- मांग पत्र।

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल, महासमुन्द

ok



मांग— पत्र (Demand - Note)

220/132 KV S/S Parswani to 132/25 KV Railway Traction S/S Mahasamund

प्रभावित वनभूमि— 2.37 हे.

वर्तमान वर्ष 2018-19 में प्रचलित सिंचित क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रु.

6,60,245/- प्रति हे. की दर में

दुगुने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि

2.37 हे. X 2 = 4.74 हे.

4.74 हे. X 6,60,245/-

रु. 31,29,561.00

वृक्षारोपण की कुल राशि —

रु. 31,29,561.00 I

प्रकरण में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि

वन प्रकार 0.4 घनत्व open forest — रु. 6,26,000.00 प्रति हे. दर

2.37 हे. X 626000.00

=

रु. 14,83,620.00

कुल शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि =

रु. 14,83,620.00..... II

कुल राशि (I+II)

रु. 46,13,181.00

पूर्व में जमा

रु. 41,67,621.00

(छियालीस लाख, तेरह हजार, एक सौ, इक्यासी रुपये मात्र)

अंतर राशि

रु. 4,45,560.00

जमा योग्य कुल राशि

रु. 4,45,560.00

(चार लाख, पैतालीस हजार, पाँच सौ साठ रुपये मात्र)

A/
वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल, महासमुन्द

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./विद्युत/7145

रायपुर, दिनांक 04/09/2018

वनमंडलाधिकारी

महासमुंद वनमंडल महासमुंद

विषय :-

महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत 132 के. व्ही. परसवानी—महासमुंद रेल्वे ट्रेक्शन विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के लिये कक्ष क्रमांक 67 में रकबा 2.37 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छ.ग. स्टेट पावर ट्रांस. कं. लिमि. रायपुर को उपयोग पर देने बाबत।

पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/16561/2015

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./982 दिनांक 24.08.2018

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल के अंतर्गत 132 के. व्ही. परसवानी—महासमुंद रेल्वे ट्रेक्शन विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के लिये कक्ष क्रमांक 67 में रकबा 2.37 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु छ.ग. स्टेट पावर ट्रांस. कं. लिमि. रायपुर को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक FC-1/CH-81/2017-NGP/3565 Date 23.04.2018 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में शर्तों के आधार पर प्रथम चरण की स्वीकृति जारी की गयी है। प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार पालन प्रतिवेदन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें निम्नलिखित कमियां पायी गयी है :-

1. उपरोक्त प्रकरण में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने हेतु आपके पत्र क्रमांक/मा. चि./721 दिनांक 01.06.2017 (छायाप्रति संलग्न है) के द्वारा प्रेषित एन.पी.व्ही. गणना पत्रक के अनुसार राशि रुपये 1483620.00 आवेदक संस्थान को जमा किया जाना था। परंतु आवेदक के द्वारा राशि रुपये 1038060.00 जमा किया गया है। अंतर की राशि रुपये 445560.00 आवेदक संस्थान से जमा करावें।
2. आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में संलग्न किये गये शर्त के पालन प्रतिवेदन में शर्त क्रमांक गलत अंकित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तों का अवलोकन कर प्रतिवेदन सुधार कर प्रेषित किया जावे।
3. उपरोक्त प्रकरण में संलग्न किये गये शर्त के पालन प्रतिवेदन में एक पृष्ठ पर एक ही शर्त अंकित किया जावे।
4. उपरोक्त प्रकरण में वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित टाईम लाईन संलग्न किया जावे।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण कर पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन 3 दिवस के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर छ.ग.
रायपुर, दिनांक 04/09/2018

पृ.क्रमांक/तक.शा./विद्युत/7146
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, अति उच्चदाब (निर्माण) संभाग, छ.ग. स्टेट पावर ट्रांस. कं. लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के अंतर की राशि ई-चालान के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करते हुये चालान की प्रति वनमंडलाधिकारी महासमुंद को तत्काल उपलब्ध करावें।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर छ.ग.